प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 25.09.2026

क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोगों को विभिन्न डेटिंग एप्प के माध्यम से लडकी के नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर चैटिंग कर उनसे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोगों को विभिन्न डेटिंग एप्प (Tinder, Happn, Twogether) के माध्यम से लडकी के नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर चैटिंग कर उनसे ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 04 सदस्यों 1.राहुल गुप्ता, 2.मणिकान्त, 3.मोहित व विशाल को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 मोबाइल फोन, एक कार सुजुकी फ्रोन्क्स रजिस्ट्रेशन न0-UP14GR0356 बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि आरडीसी गाजियाबाद स्थित लॉर्ड ऑफ विंग्स क्लब का संचालन उक्त गैंग के द्वारा किया जा रहा था। जिसमें मोबाइल फोन से विभिन्न डेटिंग एप्प (Tinder, Happn, Twogether) के माध्यम से लडकी के नाम की प्रोफाइल बनाकर चैंटिग करके दोस्ती की जाती थी और उनसे मिलने के लिए आरडीसी में स्थित लॉर्ड ऑफ विंग्स क्लब में बुलाकर अलग-अलग लडकियों से मुलाकात कराकर रेस्ट्रोरेन्ट में लडकियों द्वारा भारी मात्रा में शैम्पियन, शराब, खाना, स्नेक्स, हुक्का आदि ऑर्डर किया जाता है, जिसके बाद हमारे द्वारा उस ऑर्डर का कई गुना ज्यादा बिल बनाकर उन लडकों से धमकी देकर वसूलते है । यदि उन लडकों द्वारा बिल का भुगतान करने मे आना-कानी की जाती है तो हम लोग उनको डराते धमकाते हैं व रूपया न देने पर उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते है और मोटी रकम बसूलते हैं तथा बाद में उन रूपयों को आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया जाता है। उक्त क्लब का पिछले 01 माह से संचालन चल रहा था। कई व्यक्तियों को इसी तरह से झांसे में लेकर लाखों की ठगी की गई है।

उक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों में से मणिकान्त पर 02 अभियोग वर्ष 2024 व 2025 में इसी तरह की ठगी के सम्बन्ध में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1.राहुल गुप्ता पुत्र गणेश गुप्ता निवासी म0नं0-245, गली नं0-03, मालीवाडा, थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र करीब-24 वर्ष ।

2.मणिकान्त पुत्र स्व0 अशोक शर्मा निवासी ए-126ई, मालीवाडा, बसंत रोड़, थाना सिहानीगेट, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब-37 वर्ष ।

3.मोहित पुत्र पवन कुमार निवासीए-126ई, मालीवाडा, बसंत रोड़, थाना सिहानीगेट, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब-24 वर्ष ।

4.विशाल राजपूत पुत्र दिनेश कुमार निवासी 1/5 पीले क्वार्टर, लोहिया नगर, थाना सिहानीगेट, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब-23 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास-

1.मणिकान्त निवासी उपरोक्त

1. मु0अ0सं0-672/2026 धारा-352/351/308(2)/3(5) बीएनएस थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

2. मु0अ0सं0-1192/2024 धारा-308(2) बीएनएस थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0-14/2025 धारा 308(2)/318(2) बीएनएस थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

अन्य आपराधिक इतिहास से सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 04 मोबाइल फोन,
2. एक कार सुजुकी फ्रोन्क्स-UP14GR0356

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, गाजियाबाद।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 29000/- रुपये नगद, चोरी का सामान/आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये) व घटना में प्रयुक्त पेचकस व सरिया बरामद ।

दिनांक 19.09.2026 को थाना लिंक रोड पर वादी श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र सत्यपाल गुप्ता निवासी रामप्रस्थ कॉलोनी थाना लिंक रोड गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से कुछ सामान/आभूषण व नकदी चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंक रोड पर तत्काल सुसंगत धारा 305(A)/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का सफल अनावरण करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 24.09.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त अली मौहम्मद उर्फ अलीमुद्दीन पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी ई-ब्लॉक नई सीमापुरी मछली मार्केट के पास झुग्गी झोपडी थाना सीमापुरी जिला शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 29000/- रुपये नगद, चोरी का सामान/आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये) व घटना में प्रयुक्त पेचकस व सरिया बरामद हुए । अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह सामान मैंने अकेले ही 4-5 दिन पहले गाजियाबाद रामप्रस्थ कॉलोनी स्थित एक घर से चोरी किया था जिसे मैंने पुलिस से बचने के लिए झाडियो में खाली स्थान पर छिपा दिया था । अब मैं अन्धेरे के समय उस सामान को निकाल कर ले जाने कि फिराक में था पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अली मौहम्मद उर्फ अलीमुद्दीन पुत्र स्व0 करीमुद्दीन निवासी ई-ब्लॉक नई सीमापुरी मछली मार्केट के पास झुग्गी झोपडी थाना सीमापुरी जिला शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी व आर्म्स एक्ट के कुल 06 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर चोरी के 02 अभियोग, थाना निवाडी पर चोरी का 01 अभियोग व दिल्ली में विभिन्न आपराधिक मांमलो में 16 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरुद्ध **कुल 25 अभियोग** पंजीकृत है, अन्य आपाराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 कड़े पीली धातु
- 01 पेन्डिल (पेन्डेट) पीली धातु
- 02 जोडी टाप्स पीली धातु व सफेद डायमण्ड के
- 01 अंगूठी (रिंग) पीली धातु की
- 01 सिक्का बड़ा सफेद धातु का
- 08 सिक्के सफेद धातु के
- 01 जोडी पाजेब सफेद धातु की
- 05 जोडी पैर की चुकटी
- 01 सफेद धातु की चैन की टाइटन की घडी
- 01 सफेद धातु की चैन की FOSSIL की घडी
- 01 काले कलर की चैन की FOSSIL की घडी
- 01 पीली धातु की टाईटन की लेडिज घडी
- 01 बिना चैन की FASTRACK की घड़ी
- 03 गिलास सफेद धातु के
- 03 प्लेट सफेद धातु के
- 05 छोटी बडी कटोरी सफेद धातु की
- करीब 290 ग्राम पुरानी सफेद धातु के आभूषण,
  (अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रूपये)
- 29000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त पेचकस /सरिया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान/आभूषण व 4640 रुपये नगद बरामद ।

दिनांक 01.09.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादिया श्रीमति अनीता अहिरवार द्वारा तहरीर दी गई कि बाइस्तवा अभियुक्ता कनक द्वारा वादिया के घर से सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात विवेचना के क्रम में बाइस्तवा अभियुक्ता कनक द्वारा ही वादिया के घर में चोरी किया जाना प्रकाश में आया जिसके आधार पर अभियुक्ता की गिरफ्तारी व चोरी किये गये सामान की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 25.09.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाली अभियुक्ता कनक कुमारी पुत्री दिनेश कुमार पत्नी अभिषेक उर्फ आशू निवासी ग्राम धनेली पलटू थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 23 वर्ष को वैशाली के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के आभूषण व 4640/- रूपये नगद बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपनी पूर्व से परिचित अनीता अहिरवार के घर से कुछ दिन पूर्व आभूषण चोरी कर लिये थे और कुछ सामान और था जिसे मैंने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था जिससे कुछ रुपये मिले थे उनमें से बचे हुए जो रुपये थे वह ये ही हैं। आज मै यहां से इन चोरी के आभूषणों को लेकर अपने ससुराल आगरा जाने की फिराक में थी कि पुलिस ने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कनक कुमारी पुत्री दिनेश कुमार पत्नी अभिषेक उर्फ आशू निवासी ग्राम धनेली पलटू थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मंगल सूत्र जिसमें काली मोती की माला में पीली धातु के 02 लोकेट हैं।
- 01 मंगलसूत्र काली मोती की माला में जिसमें पीली धातु की 01 लोकेट है।
- 01 जोडी पायल सफेद धातु

- 02 जोडी सफेद धातु के बिछिया
- 4640/- रुपये नकद बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 04 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के पेचकशनुमा दो नुकीले उपकरण बरामद।

आज दिनांक 25.09.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 चोर 1. कौशिक सिंह पुत्र समरपाल निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल पता ग्राम मुसर्रफपुर झण्डा थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ 2.हंसू पुत्र संजीव निवासी ग्रामनारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल पता ग्राम मुसर्रफपुर झण्डा थाना हफिजपुर जनपद हापुड़ 3. जीशान पुत्र मौ0 शहजाद निवासी मौहल्ला लड़िया कासिम नगर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ 4. राजू खान पुत्र समीर खान निवासी पटवारी नगला एएमयू दवाखाना के पीछे वाली गली थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के पेचकशनुमा दो नुकीले उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोड़ा पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम गाजियाबाद, नोएडा व दिल्ली एनसीआर व आस-पास के जनपदों से वाहन चोरी करते हैं। आज हम लोग खोड़ा कॉलोनी से वाहन चोरी करने की फिराक में आये थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- कौशिक सिंह पुत्र समरपाल निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल पता ग्राम मुसर्रफपुर झण्डा थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ उम्र करीब 18 वर्ष।
2- हंसू पुत्र संजीव निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर हाल पता ग्राम मुसर्रफपुर झण्डा थाना हफिजपुर जनपद हापुड़ उम्र करीब 19 वर्ष।

3- जीशान पुत्र मौ0 शहजाद निवासी मौहल्ला लड़िया कासिम नगर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

4- राजू खान पुत्र समीर खान निवासी पटवारी नगला एएमयू दवाखाना के पीछे वाली गली थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- एक मोटरसाइकिल बुलेट रंग काला
- एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रंग काला
- 01 मोटरसाइकिल पल्सर रंग काला

मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के पेचकशनुमा दो नुकीले उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खोडा में01अभियोग पंजीकृत किया है एवं पूर्व में वाहन चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त जीशान के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ में वाहन चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त कौशिक के विरूद्ध जनपद बिजनौर में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 25.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त दानिश पुत्र रहीसउद्दीन निवासी महौल्ला मेवातियान नई बस्ती दादरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष को हिण्डन रिवर मेट्रों स्टेशन पार्किंग कट के पास गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल रजि0 नं0 DL5SBN2455 बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 565/26 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि खर्चा चलाने व नशा करने के लिए मोटर साईकिल चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

दानिश पुत्र रहीसउद्दीन निवासी महौल्ला मेवातियान नई बस्ती दादरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक मोटर साईकिल रजि0 नं0 DL5SBN2455

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दानिश उपरोक्त के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी संबंधी 01 अभियोग व थाना बिसरख में 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट संबंधी। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।